रजिस्टर्ड/सील्ड

संख्या-20/2025/1673/22-2-2023-17(444)/2024

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2025**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह, निवासी-बुर्ज पैतखेड़ा, थाना-खन्दौली, जिला-आगरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक 13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह, निवासी-बुर्ज पैतखेड़ा, थाना-खन्दौली, जिला-आगरा का निवासी है। दिनांक 08.05.2003 को बंदी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाड़े में घुसकर गोलियों से कारे व विरिम सिंह तथा लाखन नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-529/2003, भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 307/149, 302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, आगरा के आदेश दिनाँक 01.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनाँक 21.01.2008 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) बन्दी को एस0टी0नं0-1215/2009, धारा-25ए, एक्ट में मा0 न्यायालय जे0एम0-1, आगरा के आदेश दिनाँक 06.04.2010 द्वारा 01 वर्ष 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया। (3) बंदी को एस0टी0नं0-153/2004, 2/3 गै0एक्ट में मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) आगरा के आदेश दिनाँक 06.05.2016 द्वारा 09 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2023 तक 19 वर्ष 09 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बंदी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 08.05.2003 को बंदी द्वारा अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाड़े में घुसकर गोलियों से कारे व विरिम सिंह तथा लाखन नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल (बन्दी संख्या-10267) पुत्र श्री सौदान सिंह, निवासी-बुर्ज पैतखेड़ा, थाना-खन्दौली, जिला-आगरा की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2025/1673(1)/22-2-2023-17(444)/2024,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- **जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।**
2- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।**
3- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
4- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
5- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-**20/2025/1673/22-2-2023-17(444)/2024**

दिनांकः 17 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह, निवासी-बुर्ज पैतखेड़ा, थाना-खन्दौली, जिला-आगरा का निवासी है। दिनांक 08.05.2003 को बंदी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाड़े में घुसकर गोलियों से कारे व विरिम सिंह तथा लाखन नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। **उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण** संख्या-529/2003, भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 307/149, 302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, आगरा के आदेश दिनाँक 01.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनाँक 21.01.2008 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) बन्दी को एस0टी0नं0-1215/2009, धारा-25ए, एक्ट में मा0 न्यायालय जे0एम0-1, आगरा के आदेश दिनाँक 06.04.2010 द्वारा 01 वर्ष 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया। (3) बंदी को एस0टी0नं0-153/2004, 2/3 गै0एक्ट में मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) आगरा के आदेश दिनाँक 06.05.2016 द्वारा 09 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2023 तक 19 वर्ष 09 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बंदी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 08.05.2003 को बंदी द्वारा अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाड़े में घुसकर गोलियों से कारे व विरिम सिंह तथा लाखन नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुँवरपाल पुत्र श्री सौदान सिंह को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in